INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

HPSC – HCS

HARYANA PUBLIC SERVICE COMMISSION

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु

भाग – 1

हरियाणा का सामान्य ज्ञान (GK) + भारतीय राजव्यवस्था

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**HPSC-HCS (Haryana Public Service Commission – Haryana Civil Service) (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु)**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। ये नोट्स पाठकों को **हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**HPSC-HCS**" भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें।*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है। अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें - https://wa.link/wdvcfu

Online Order करें - https://bit.ly/40yVhHP

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम (2024)

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	हरियाणा राज्य की उत्पत्ति • हरियाणा राज्य की अलग माँग • सच्चर फार्मूला • राज्य पुनर्गठन आयोग / फजल अली आयोग 1953 • जे.सी. शाह आयोग / सीमा आयोग	1
2.	हरियाणा की भौगोलिक स्थिति और विस्तार	3
3.	हरियाणा की स्थलाकृतियाँ	6
4.	हरियाणा की नदियां एवं झीलें • अपवाह तंत्र का वर्गीकरण • हरियाणा राज्य की प्रमुख झीलें	9
5.	हरियाणा की प्रमुख सिंचाई व्यवस्था एवं सिंचाई परियोजनाएँ • हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था • राज्य की प्रमुख नहरें • प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ • अन्य प्रमुख सिंचाई योजनाएँ • हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के साधन • सरकार द्वारा जल प्रबंधन के लिए किए गए कार्य	12
6.	हरियाणा की जलवायु • सामान्य परिचय • जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक • व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण • कोपेन के अनुसार हरियाणा के जलवायु प्रदेश • हरियाणा की प्रमुख ऋतुएँ • वर्षा का वितरण	14
7.	हरियाणा में मृदा (मिट्टी)संसाधन	17
8.	हरियाणा में वनस्पति	20
9.	हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य • हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान • हरियाणा के वन्यजीव अभ्यारण्य	23

	• हरियाणा के संरक्षण ग्रह (रिजर्व) • हरियाणा राज्य में प्रजनन केंद्र एवं संरक्षण	
	हरियाणा की अर्थव्यवस्था	
1.	हरियाणा की कृषि • हरियाणा की कृषि उत्पादन • हरियाणा की प्रमुख फसलें • कृषि से संबंधित राज्य सरकार की योजनाएँ • कृषि से संबंधित केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएँ	26
2.	हरियाणा में पशुपालन एवं डेयरी • हरियाणा में पशुपालन वाले प्रमुख जिले • प्रमुख पशु • पशुपालन विकास हेतु सरकार द्वारा किए गए अन्य प्रयास • सरकार द्वारा मछली पालन के लिए किए गए प्रयास • हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था • राज्य की प्रमुख नहरें	32
3.	हरियाणा में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन • गैर - परम्परागत ऊर्जा स्रोत • गोरखपुर हरियाणा परमाणु विद्युत परियोजना	37
4.	हरियाणा के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश • खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग • प्रमुख औद्योगिक ईकाइयाँ	40
5.	राज्य की परिवहन एवं जनसंचार व्यवस्था • हरियाणा राज्य में परिवहन व्यवस्था • हरियाणा में जनसंचार व्यवस्था	44
6.	हरियाणा के प्रमुख पर्यटन स्थल • हरियाणा के प्रसिद्ध मन्दिर • हरियाणा की प्रमुख मस्जिदें • हरियाणा के प्रमुख मकबरे • हरियाणा की प्रमुख मजारें तथा दरगाह	50

	• हरियाणा के आधुनिक पर्यटन स्थल • हरियाणा के प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल	
	हरियाणा का इतिहास	
1.	हरियाणा के इतिहास के स्त्रोत • प्राचीन हरियाणा के इतिहास के स्त्रोत • ऐतिहासिक ग्रंथ • अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ • मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास के स्रोत ▪ हड़प्पा संस्कृति • वैदिक संस्कृति और (वैदिक काल) • वैदिक काल से संबंधित तथ्य • उत्तर वैदिक काल • महाभारत काल के बाद गणतंत्रीय व्यवस्था का उदय • मौर्य वंश • गुर्जर - प्रतिहार काल • हरियाणा और तोमर वंश • चौहान एवं तोमर शासकों के मध्य संघर्ष • राज्य के नगरों के प्राचीन नाम • हरियाणा के प्राचीन अवशेषों के प्राप्ति स्थान	56
2.	मध्यकालीन इतिहास के स्त्रोत • तुर्क आक्रमण और हरियाणा • महमूद गजनवी का आक्रमण एवं तोमर शासक जयपाल • मसूद एवं मादूद का आक्रमण • मुगल सम्राज्य (मुगलों के अधीन हरियाणा) • उत्तर मुगलकाल • मराठा तथा सिक्ख शक्तियों का प्रादुर्भाव • महादजी सिंधिया और हरियाणा • जॉर्ज थॉमस का हरियाणा शासन (1792-1802)	68
3.	आधुनिक इतिहास • ईस्ट इण्डिया कम्पनी का हरियाणा क्षेत्र में आगमन • ईस्ट इण्डिया कम्पनी का हरियाणा क्षेत्र में प्रशासन • कम्पनी द्वारा हरियाणा क्षेत्र में प्रशासनिक परिवर्तन	77

	• ईस्ट इण्डिया कंपनी के विरुद्ध • 1857 की क्रांति में हरियाणा का योगदान • 1857 की क्रांति में रियासतों की भूमिका • 1857 ई. की क्रांति के बाद हरियाणा की देशी रियासतें • राष्ट्रीय आंदोलन (1885 - 1919) • प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध में हरियाणा • प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी	
	हरियाणा की कला, संस्कृति और साहित्य	
1.	हरियाणा की प्रमुख भाषा एवं साहित्य	88
2.	हरियाणा में प्रमुख पुरातत्विक स्थल एवं संग्रहालय • हरियाणा के पुरातत्विक किले • हरियाणा के अन्य पुरातात्विक स्थल • हरियाणा के विभिन्न संग्रहालयों का विवरण	98
3.	वस्तुकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला	101
4.	हरियाणा में प्रमुख लोक- संगीत एवं लोक-नृत्य	104
5.	प्रमुख लोक - वाद्य यंत्र • हरियाणा राज्य की संगीत कला • हरियाणा के गायक	106
6.	लोक नाट्य कला : स्वांग • हरियाणा के प्रमुख साँगी	108
7.	हरियाणा के प्रमुख मेले , त्यौहार, उत्सव एवं पर्व	109
8.	वेशभूषा, आभूषण, रीति - रिवाज तथा लोकोक्तियाँ वेशभूषा • स्त्रियों की वेशभूषा • पुरुषों की वेशभूषा • बच्चों की वेशभूषा • प्रमुख रीति - रिवाज	116
	हरियाणा की राजव्यवस्था	
1.	प्रशासनिक ढाँचा • हरियाणा की प्रशासनिक संरचना • हरियाणा की विभिन्न विधानसभाए	119

	• हरियाणा के विधानसभा अध्यक्षों की सूची • पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सूची • हरियाणा के अन्य न्यायिक संस्थान • हरियाणा की महत्वपूर्ण संस्था एवं आयोग • पंचायती राज व्यवस्था • नगरीय स्वशासन से सम्बन्धित नया संशोधन	
2.	हरियाणा : विविध	131
	भारतीय संविधान	
1.	भारतीय संविधान का निर्माण एवं परिचय शासन के तीनों अंगों में संबंध • भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख • अमेरिका की संवैधानिक योजना • स्विट्जरलैंड की संवैधानिक योजना • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि • संविधान सभा • संविधान की विशेषताएँ • भारतीय संविधान के स्त्रोत	151
2.	संविधान संशोधन • संविधान संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) • संशोधन प्रक्रिया की आलोचना • मूल ढांचा	168
3.	संविधान की प्रस्तावना	177
4.	नागरिकता	185
5.	नागरिकों के मौलिक अधिकार • मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ • मौलिक अधिकारों की आलोचना • मौलिक अधिकार • शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता (अनु. 19(1)B) • संगम या संघ बनाने का अधिकार	186

	• भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने अथवा बसने की स्वतंत्रता; • मूल अधिकारों के महत्व	
6.	भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व • पंचायत व्यवस्था से सम्बंधित प्रावधान • नागरिकों के मूल कर्तव्य • मूल कर्तव्यों की विशेषताएं • मूल कर्तव्य हेतु नवीन संदर्भ	198
7.	भारत में 'राष्ट्र प्रमुख' (राष्ट्रपति) • कार्यपालिका का प्रमुख • परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार • राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति	211
8.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	234
9.	संसद प्रणाली • संघीय विधानमंडल (संसद) • लोकसभा • राज्यसभा • संसदीय समितियाँ • बजट - वार्षिक वित्तीय विवरण (अनुच्छेद-112) भूमिका	240
10.	केन्द्र- राज्य संबंध • विधायी संबंध	254
11.	न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन	257
12.	भारतीय निर्वाचन आयोग	270
13.	स्वतंत्र महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक	276
14.	राष्ट्रीय नीति आयोग	278
15.	केंद्रीय सतर्कता आयोग	281
16.	संवैधानिक संघ लोक सेवा आयोग • संघ लोक सेवा आयोग की संरचना • संघ लोक सेवा आयोग के कार्य	286
17.	लोकपाल	288
18.	केंद्रीय सूचना आयोग • केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना	291

	• केन्द्रीय सूचना आयोग की शक्तियां एवं कार्य	
19.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग • आयोग का गठन • आयोग की कार्य प्रणाली	295
20.	राज्य और राजनीतिक व्यवस्था • राज्य की परिभाषा • राज्य के तत्व	297
21.	राज्यपाल • राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां	298
22.	मुख्यमंत्री एवं राज्य का मंत्रिपरिषद्	302
23.	राज्य विधान मण्डल • राज्य विधानपरिषद् व विधानसभा • विधान परिषद् एवं सदस्यों का कार्यकाल • विधानसभा की शक्तियाँ • विधान परिषद की शक्तियाँ	305
24.	उच्च न्यायालय	310
25.	जिला प्रशासनिक तंत्र	315
26.	राज्य लोक सेवा आयोग • हरियाणा लोक सेवा आयोग	320
27.	राज्य मानवाधिकार आयोग • हरियाणा मानवाधिकार आयोग • आयोग का कार्य	322
28.	लोकायुक्त • लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार	323
29.	स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्था	325
30.	राजनीतिक दल	333
31.	राष्ट्र का एकीकरण	338
32.	सम्पूर्ण अनुच्छेद	349

हरियाणा का भूगोल

अध्याय – I

हरियाणा राज्य की उत्पत्ति

शब्द की उत्पत्ति :- हरियाणा शब्द मूलतः हरयाणा से बना है, जिसका अर्थ है 'हरि आयन' अर्थात् परमात्मा का वास स्थान। कुछ विद्वानों ने हरियाणा शब्द का संबंध हरि अर्थात् भगवान इंद्र और राजा हरिश्चन्द्र से जोड़ा है।

- कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति ऐसे हुई की प्राचीनकाल में यह क्षेत्र जंगलों से घिरा था तथा यहाँ चोर - डाकू लोग गुजरने वाले लोगों का सामान हर लेते थे, इसी हरना से हरियाणा शब्द बना है।
- प्राणनाथ चोपड़ा के अनुसार हरियाणा का नाम, अभिरयाणा - अहिरयाणा से मिला। हरियाणा को ऋग्वेद में रज हरियाणे कहा गया है।
- कुछ विद्वान मानते हैं कि प्राचीन काल में इस प्रदेश को हरिधान्यक कहा जाता था, जो आते - आते हरियाणा बन गया। धरणीधर ने अपनी रचना अखंड प्रकाश में लिखा है कि यह शब्द 'हरिबंका 'से लिया गया है।

- 1756-57 से पहले हरियाणा क्षेत्र मुगलों के अधीन था।
- 1756-57 में हरियाणा पर पूर्ण रूप से मराठों ने अधिकार कर लिया था।
- द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध (1803)- जनरल लेक के ऊपर उत्तरी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार की जिम्मेदारी थी। इसी निति के तहत् जनरल लेक ने उत्तर भारत में अलीगढ़, दिल्ली, भरतपुर व आगरा के लासवाडी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया
- मराठा सरदार दौलत राव सिंधियाँ और जनरल लेक के मध्य लासवाडी आगरा में युद्ध हुआ , जिसमें मराठाओं की पराजय हुई। इस युद्ध के पश्चात मराठाओं ने अंग्रेजों के साथ सुर्जीअंजन गाँव की संधि की।
- सुर्जीअंजन गाँव की संधि (30 दिसम्बर 1803) के तहत् अंग्रेजों ने हरियाणा क्षेत्र मराठाओं से छीनकर अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर दिया। अर्थात् 30 दिसम्बर 1803 को हरियाणा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गया।
- सन् 1809 – 10 में अंग्रेजों ने हरियाणा पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया।
- 1819 में अंग्रेजों ने हरियाणा का विभाजन तीन क्षेत्रों में कर दिया।
  1. **उत्तरी क्षेत्र** – पानीपत, सोनीपत, हाँसी, हिसार, रोहतकऽ
  2. **केन्द्रीय क्षेत्र** – दिल्ली
  3. **दक्षिणी क्षेत्र** – गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूँह, हथीन, होडल, सोहना।

- 1833 – 34 में ईस्ट इंडिया कंपनी "उत्तरी-पश्चिमी प्रांत" का गठन किया। आगरा को इस उत्तरी-पश्चिमी प्रांत की राजधानी बनाया गया। इस उत्तरी पश्चिमी प्रांत को छः डिविजनों में बाँटा गया था। जिनमें से एक दिल्ली डिविजन था। दिल्ली डिविजन के अंतर्गत पाँच जिले – पानीपत, रोहतक, हिसार , गुरुग्राम व दिल्ली शामिल थे।
- 1857 की क्रांति के समय हरियाणावासियों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया जिसके कारण 1858 के अधिनियम के तहत् 1858 में हरियाणा का पंजाब विलय कर दिया गया।
- 1892 -93 में पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में कथन पेश किया गया कि –"वस्तुतः हरियाणा और पंजाबवासियों में प्रत्येक क्षेत्र में अनेक भिन्नताएँ हैं"।

हरियाणा राज्य की अलग माँग :-

- सर्वप्रथम 1923 ई. में स्वामी सत्यानंद ने लाहौर से माँग उठाई की हरियाणा को पंजाब से अलग कर अलग राज्य के रूप में स्थापित किया जाये।
- दूसरी बार 1925 में हरियाणा पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में माँग उठाई की हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में शामिल किया जाये।
- 1928 ई. में सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली का आयोजन किया गया जिसमें हरियाणा को दिल्ली में शामिल करने को कहा गया।
- 1929 ई. में पेश की गई नेहरु रिपोर्ट में भी मोतीलाल नेहरु ने पंजाब से अलग कर हरियाणा को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई।
- 1932 ई. में दीनबन्धु गुप्त ने अलग से हरियाणा की माँग उठाई तथा इसका समर्थन, महात्मा गाँधी , मोहम्मद अली जिन्ना , चौधरी छोटुराम व अरुणा आसफ अली ने किया।
- 1946 ई. में कांग्रेस ने तात्कालिक अध्यक्ष पट्टाभि सीतारमैया ने भी पंजाब से अलग कर हरियाणा की माँग उठाई।
- 1949 ई. में भारत स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ भार्गव को बनाया गया।
- 1948 ई. में मास्टर तारा सिंह ने "अजीत" नामक पत्र के माध्यम से सिक्ख राज्य की माँग उठाई।

सच्चर फार्मूला :-

- 1949 ई. में पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर बने इन्होंने सच्चर फार्मूला लागू किया (। अक्टूबर 1949) जिसके तहत् पंजाब का विभाजन हिन्दी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र के रूप में दो भागों में किया गया।

सच्चर फार्मूला
1 अक्टूबर 1949

↓ ↓ ↓

हिन्दी क्षेत्र — **हिन्दी क्षेत्र**

↓ ↓

हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, जगाधरी, नारायणगढ़, कांगड़ा — **शेष पंजाब का हिस्सा व घग्घर का हिस्सा व घग्घर के दक्षिणी हिस्से**

सच्चर फार्मूले को जनता ने नकार दिया

राज्य पुनर्गठन आयोग / फजल अली आयोग 1953 :-

- राज्य के पुनर्गठन के लिए 1953 ई. में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जिसमें 3 सदस्य थे।

1. फजल अली अध्यक्ष
2. एच.एन. कुंजरू
3. एच.एम. पणिकर

फजल की अध्यक्षता में गठित होने के कारण इसे **फजल अली आयोग** भी कहा जाता है।

- राज्य पुनर्गठन अधिनियम रिपोर्ट 1956 – इसमें कहा गया था कि "अलग राज्य के गठन से भाषा संबंधित विवाद , समाप्त नहीं होगा और दोनों भाषाओं का "अहित होगा " इस कारण इस अधिनियम में हरियाणा की अलग माँग को अस्वीकार कर दिया।

क्षेत्रीय फार्मूला (24 जुलाई 1956)

पंजाब सरकार की सिफारिशों पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इस फार्मूले को 24 जुलाई 1956 को लागू किया। इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान किये गये।

1. इसके अंतर्गत पंजाब का विभाजन कर दो भागों में विभाजित किया –

   हिन्दी क्षेत्र – गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, करनाल, महेन्द्रगढ़ नखाणा व जींद तहसील, नारायणगढ़, जगाधरी, शिमला, कांगडा क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किये गये।

   पंजाबी क्षेत्र – इसमें शेष पंजाब के हिस्से को शामिल किया गया।

2. क्षेत्रीय फार्मूला के तहत् पंजाब को द्विभाषी राज्य घोषित कर दिया।
3. इसके तहत् दोनों राज्यों की विधानसभा व गवर्नर एक ही होंगे।
4. दोनों क्षेत्रों के अल्पसंख्यकों को सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
5. सभी स्थानीय भाषाओं की उन्नति के लिए सहयोग का आश्वासन दिया गया।

- 1956 में प्रताप सिंह कैरों पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और 1957 में इन्होंने हरियाणा में पंजाबी को अनिवार्य रूप से लागू का दिया पंजाबी के अनिवार्य रूप से लागू होने का विरोध जनसंघ पार्टी और आर्य समाज ने किया।
- तथा क्षेत्रीय फार्मूले को भी खत्म कर दिया गया।

NOTE :-

1. फजल अली की अध्यक्षता में 1955 में हरियाणा में पहली बार सीमा आयोग का आगमन हुआ। सीमा आयोग पहली बार 1955 में रोहतक में आया था।
2. 1957 में हरियाणा में "हिन्दी सत्याग्रह आंदोलन" की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव रोहतक व हिसार में रहा।
3. 1957 में क्षेत्रीय फार्मूले को खारिज करने के पश्चात हरियाणा में हिन्दी क्षेत्रीय समिति गठित की गई।

- हिन्दी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष बलवंत राय तायल को बनाया गया।
- क्षेत्रीय फार्मूला रद्द होने के पश्चात 1960 में तारासिंह ने हरियाणा की अलग माँग के लिए आंदोलन शुरू किया। तब पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों ने तारासिंह को गिरफ्तार करवा कर जेल में डाल दिया।
- तारासिंह के जेल जाने के पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व फतेहसिंह (जनता दल के अध्यक्ष) ने किया।
- 1962 में भारत –चाइना युद्ध के कारण आंदोलन को स्थगित करना पड़ा।
- 1964 में प्रतापसिंह कैरों व नेहरु जी की मृत्यु हो गई।
- 1964 में इनकी मृत्यु के बाद फतेहसिंह ने दोबारा आंदोलन शुरू किया।
- 23 सितम्बर 1965 को भारत के गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने संसदीय समिति बनाने की घोषणा की।
- "संसदीय समिति" का गठन सरदार हुक्कम सिंह की अध्यक्षता में किया गया।
- 3 मार्च 1966 को देवीलाल ने "हरियाणा संघर्ष समिति" के द्वारा हरियाणा का जल्द से जल्द गठन करने की माँग की।

जे.सी. शाह आयोग / सीमा आयोग :-

हुक्कम सिंह की सिफारिशों पर 23 अप्रेल 1966 को जे.सी शाह की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। इसमें 3 सदस्य शामिल थे।

1. जे.सी शाह (अध्यक्ष)
2. एस के दत्त
3. एम एम फिलिप

NOTE :- एस के दत्त की सिफारिश पर ही खरड तहसील को पंजाब में शामिल किया गया।

- 31 मई 1966 को शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की।
- सीमा आयोग की सिफारिशों पर "पंजाब पुनर्गठन अधिनियम" के तहत्। नवम्बर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

1. हरियाणा राज्य का गठन 1 नवम्बर 1966 को हुआ।
2. हरियाणा गठन के समय इसमें 7 जिले थे। इनमें से सबसे बड़ा जिला हिसार था। सबसे छोटा जिला जींद था।
3. हरियाणा गठन के समय भारत की प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी थी।
4. हरियाणा गठन के समय भारत के राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
5. हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा (बेरी झज्जर) को बनाया गया। भगवत दयाल शर्मा मध्यप्रदेश व उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे हैं।
6. हरियाणा का पहला राज्यपाल श्री धर्मवीर को बनाया गया।

सारांश

- 1756 -57 में हरियाणा मराठों के अधीन था।
- 1803 में हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हुआ।
- 1809 -10 में हरियाणा पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन हुआ।
- 1819 में हरियाणा का विभाजन तीन भागों में किया गया।
- 1833 -34 में इसे उत्तरी -पश्चिमी प्रांत में मिलाया गया था।
- 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया।
- 1892 – 93 में पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट पेश की गई।
- 1923 में सर्वप्रथम स्वामी सत्यानंद ने अलग हरियाणा की माँग उठाई।
- 1948 में तारासिंह ने अलग सिक्ख राज्य की माँग उठाई।
- 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू हुआ।
- 1953 में फजल अली आयोग (राज्य पुनर्गठन आयोग) का गठन हुआ।
- 24 जुलाई 1956 में क्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ।
- 23 सितम्बर 1956 को संसदीय समिति बनाने की घोषणा की गई।
- 23 अप्रेल 1966 को जे.सी शाह आयोग (सीमा आयोग) का गठन हुआ।
- 31 मई 1966 को शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की।
- 1 नवम्बर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया।

अध्याय – 2

हरियाणा की भौगोलिक स्थिति और विस्तार

हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। इसके उत्तर - पूर्वी भाग में शिवालिक की पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में अरावली पहाडियाँ तथा मध्य में बड़े समतल मैदान हैं, जो भौगोलिक विविधता को प्रकट करते हैं।

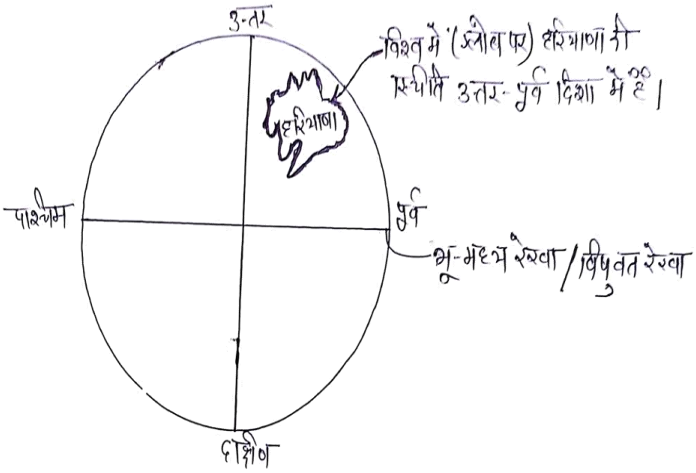

चित्र – विश्व में हरियाणा की स्थिति

चित्र – भारत में हरियाणा की स्थिति

- *राज्य की सीमा से 5 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेश लगे हैं।*
- *उत्तर पूर्व में हिमाचल*
- *दक्षिण - पश्चिम में राजस्थान*
- *पूर्व में उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड और दिल्ली*
- *उत्तर पश्चिम में पंजाब और चंडीगढ़ है।*

- *दिल्ली और चंड़ीगढ़ 2 केन्द्र शासित प्रदेश हैं।*
- *हरियाणा की सीमा सबसे अधिक राजस्थान से लगी है (1262 km) और सबसे कम उत्तराखण्ड से लगी है (12km) उत्तर पूर्व में शिवालिक पर्वत, दक्षिण में अरावली की पहाड़ियाँ, राजस्थान का रेगिस्तान, पूर्व में यमुना नदी दक्षिण पश्चिम में राजस्थान का रेगिस्तान स्थित है।*

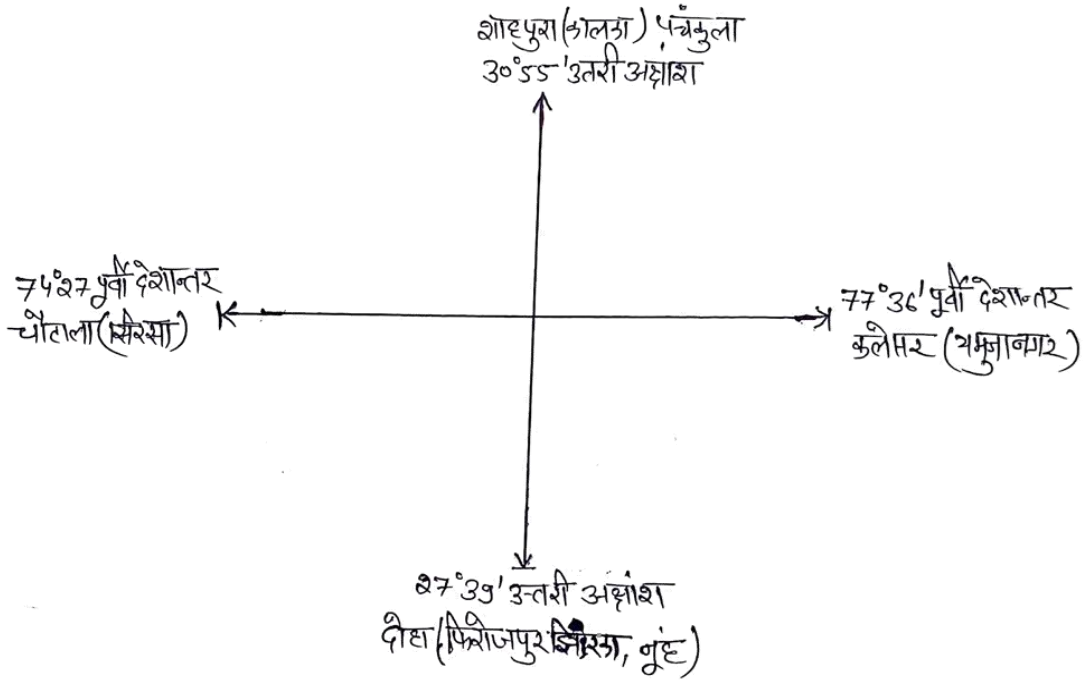

2. **पश्चिमी मण्डल** - पश्चिमी मण्डल में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी रेवाड़ी के अतिरिक्त जींद, गुडगाँव, झज्जर रोहतक आदि के कुछ भाग शामिल हैं।

- दक्षिण पश्चिम भू - भाग सामान्यः शुष्क रहता है, जहाँ सामान्य वर्षा 400 mm से कम होती है।
- पश्चिम मण्डल में शामिल गुरुग्राम एवं महेंद्रगढ़ जिलों के भू - भाग प्रायः अर्द्ध शुष्क क्षेत्र में आते हैं, जहाँ 400 - 500 mm तक औसत वर्षा होती है।

महत्वपूर्ण तथ्य :- भारत का पहला मौसम उपग्रह "मेटसेट" है जिसका 2003 में नाम परिवर्तन करके "कल्पना -1 कर दिया।

- हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा 30 से 110 सेमी. होती है।
- हरियाणा का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यमुनानगर है।
- हरियाणा का न्युनतम वर्षा वाला जिला सिरसा है।
- हरियाणा की चेरापूंजी छिछरोली (यमुनानगर) को कहते हैं।
- हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा "बंगाल की खाड़ी शाखा" से होती है।
- हरियाणा में वर्षा दो ऋतुओं में होती है जो निम्न है - ग्रीष्म ऋतु में वर्षा , शीत ऋतु में वर्षा

1. **ग्रीष्म ऋतु में वर्षा** :-

- इस ऋतु में जुलाई से सितम्बर के मध्य वर्षा होती है।
- इस ऋतु में लगभग 80% वर्षा होती है।

2. **शीत ऋतु में वर्षा** :-

- इस ऋतु में दिसम्बर से फरवरी के मध्य वर्षा होती है।
- इस ऋतु में लगभग 15-20 % वर्षा होती है। इस वर्षा को "मावठ" कहते हैं।
- मावठ गेहूँ की फसल (रबी की फसल) के लिए उपयोगी है।

अध्याय – 7

हरियाणा में मृदा (मिट्टी) संसाधन

- मृदा शब्द लैटिन भाषा के" सोलम "से उत्पन्न हुआ है। सोलम का अर्थ फर्श होता है। मृदा - भू -पटल के ऊपर पाये जाने वाले असंगठित कणों को मृदा कहते हैं जबकि संगठित कण चट्टान कहलाते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया "पेडोजिनेसिस "कहलाती है। मृदा का अध्ययन" पेडोलोजी " कहलाता है।

हरियाणा में मृदा का वर्गीकरण

भौतिक व रासायनिक गुणधर्म के आधार पर	धरातलीय बनावट के आधार पर
1.अत्यंत हल्की मृदा	1.पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा
2.हल्की मृदा	2.मैदानी क्षेत्र की मृदा
3.मध्यम मृदा	3.रेतीली मृदा
4.सामान्य भारी मृदा	
5.बहुत भारी मृदा	
6.गिरिपादीय मृदा	

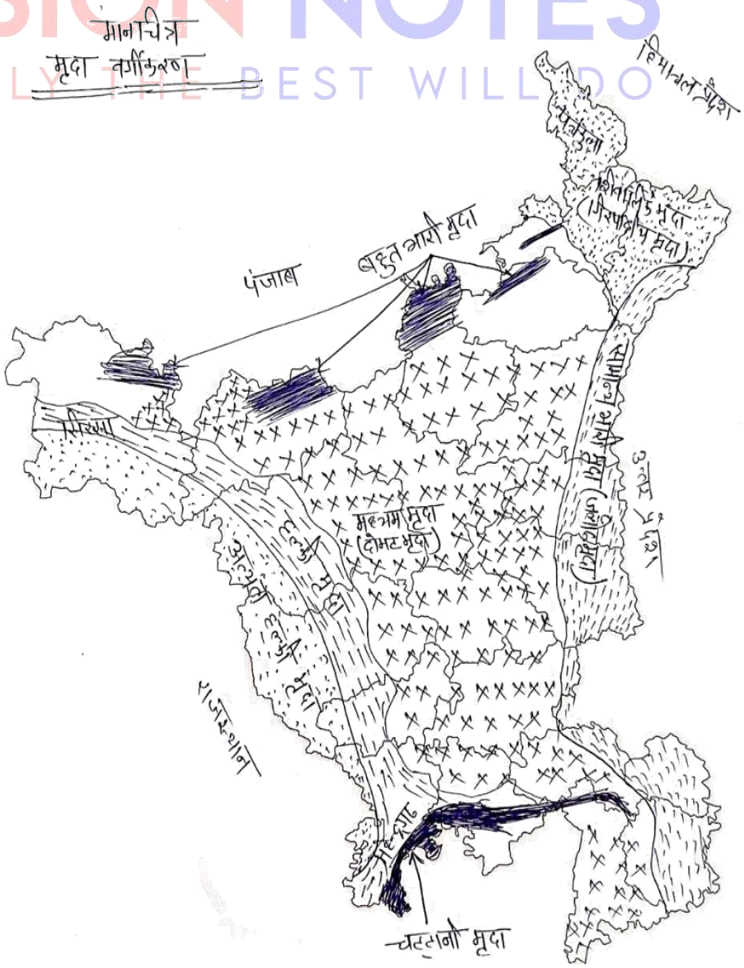

1. अत्यंत हल्की मिट्टी -

- यह मिट्टी बालू का प्रधान दोमट मिट्टी है। यह मिट्टी दक्षिण हरियाणा के जिलों में जैसे, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और सिरसा के दक्षिणी भाग में मिलती है।
- इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। और यह बहुत जल्दी सूख जाती है।
- इस मिट्टी में चूने के अंशों का बाहुल्य रखता है।
- इस मिट्टी में ऐसी फसलें बोई जाती हैं जिन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है, जैसे - चना, बाजरा आदि।
- सरकार इन क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत से प्रयास कर रही है।

2. हल्की मिट्टी

- यह मिट्टी 2 प्रकार की मिट्टियों दोमट मिट्टी और बालू दोमट मिट्टी का ही प्रकार है।
- हल्की मिट्टी को रौंसली मिट्टी भी कहते हैं।
- इस मिट्टी में सिल्ट तथा मृतिका की अपेक्षा बालू अधिक मात्रा में होता है। इस मृदा में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। सिंचाई के माध्यम से इस मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। इस मिट्टी में हल चलाना भी आसान होता है। यह मिट्टी नरम प्रवृति की होती है। यह मिट्टी हरियाणा राज्य के हिसार, भिवानी रेवाड़ी, गुरुग्राम तथा झज्जर जिले में मिलती है। यह शुष्क भूमि कृषि के लिए उपयोगी मानी जाती है।

3. मध्यम मिट्टियाँ - मध्यम मिट्टियों में मोटी दोमट, हल्की दोमट और सामान्य दोमट मिट्टियाँ सम्मिलित हैं। यह मृदा अन्य मृदाओं की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है।

मोटी (भारी) दोमट मिट्टी - इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं। यह मिट्टी मेवात (नूँह) जिले के मध्य क्षेत्र, पश्चिम फिरोजपुर और सिरसा के निचले क्षेत्रों में पाई जाती है।

हल्की दोमट मिट्टी - यह मिट्टी मुख्यतः गुरुग्राम के उत्तरी भाग में, दक्षिणी - पश्चिमी अम्बाला तथा नूँह जिले के उत्तरी पश्चिम भाग में पाई जाती है।

सामान्य दोमट मिट्टी - यह मिट्टी हरियाणा के मध्य - वर्ती भाग में मुख्यतः सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल, गुरुग्राम, फरीदाबाद जिलों में पाई जाती है।

- यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। जिसमें गेंहू, ज्वार, गन्ने, कपास का उत्पादन किया जाता है।

4. सामान्य भारी मिट्टी - इस मिट्टी को खादर मिट्टी भी कहते हैं

- यह मिट्टी सिल्ट युक्त होती है। यह कम जल को सोखती है तथा जल सोखने पर कठोर हो जाती है।
- यह मिट्टी मुख्यतः यमुना नदी के साथ वाले जिलों में जैसे यमुनानगर,कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। ऊँचे भागों पर इस मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है।

5. भारी मिट्टी -

- इस मिट्टी को 'डाकर' भी कहा जाता है।
- इस मिट्टी में चीका युक्त सिल्ट की प्रधानता होती है। यह मिट्टी बारिश ऋतु में चिपचिपी तथा शुष्क मौसम में कठोर हो जाती है।
- यह मिट्टी मुख्यतः थानेसर, फतेहाबाद और जगाधरी के क्षेत्रों में पाई जाती है।
- इस मिट्टी की उर्वरकता को जैविक और रासायनिक खादों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसमें चना, जों, गेंहूँ और चावल की फसल अच्छी होती है।

6. शिवालिक गिरिपादीय अथवा चट्टानी तल की मिट्टियाँ

शिवालिक गिरिपादीय मिट्टी में चीका, बालू, बजरी तथा अन्य तत्वों की मात्रा अधिक होती है।

- इस मिट्टी को स्थानीय तौर पर - घाहर या कंड़ी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है।
- यह मिट्टी पंचकुला की कालका, अम्बाला की नारायणगढ़ और यमुनानगर की जगाधारी क्षेत्रों में पाई जाती है।
- हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों के कारण पथरीली और रेतीली, चट्टानी तल की मिट्टी पाई जाती है। यही निम्न कोटी की मिट्टी समझी जाती है। यह कम उपजाऊ मिट्टी होती है।

धरातलीय बनावट के आधार पर -

- हरियाणा प्रदेश का अधिकतर भाग मैदानी है तथा कृषि की उपज मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर है। राज्य में पहाड़ी क्षेत्र सीमित है और मैदानों की मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारी किस्म की है। धरातलीय बनावट के आधार पर हरियाणा की भूमि को निम्नलिखित 3 भागों में बाँटा गया है -

1. पहाड़ी क्षेत्र की मृदा
2. मैदानी क्षेत्र की मृदा
3. रेतीली मिट्टी का क्षेत्र

1. पहाड़ी क्षेत्र की पथरीली मिट्टी -

- उत्तर हरियाणा में इस प्रकार की मिट्टी मोरनी की पहाड़ियों पर पाई जाती है।
- दक्षिणी भाग में अरावली की पहाड़ियों में - पथरीली और रेतीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं।
- इस प्रकार की मिट्टी को हर क्षेत्र में अलग नाम से जाना जाता है। यमुनानगर में इसे कंडी मिट्टी के नाम से जाना जाता है।

अध्याय – 6

हरियाणा के प्रमुख पर्यटन स्थल

हरियाणा के प्रसिद्ध मन्दिर –

1. **पंचकुला जिले के मन्दिर (चंड़ीगढ़) –**

मनसा देवी मन्दिर – यह मन्दिर पंचकुला में स्थित है इस मन्दिर का निर्माण मनीमाजरा शासक गोपाल सिंह जी ने सन 1815 में करवाया था। बाद में सन 1991 में मनसा देवी साइन एक्ट कि स्थापना की गई।

भीमा देवी मन्दिर – यह भी हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। इस मन्दिर को खजूराहो मन्दिर की भी संज्ञा दी जाती है।

2. **गुरुग्राम जिले के मन्दिर –**

शीतला माता मन्दिर – इस मन्दिर का निर्माण राजा भरतपुर द्वारा गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी माता शीतला देवी के मन्दिर के रूप में करवाया गया। सन 1991 में हरियाणा सरकार द्वारा शीतला माता बार्ड का गठन किया गया। इस मन्दिर में शीतला माता की सवा किलो सोने की मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ चैत्र मास के नवरात्रों, बैसाख, अषाढ़, और अश्विन के नवरात्रों में मेले का आयोजन होता है।

प्राचीन शिव मन्दिर – गुरुग्राम के सोहना में एक प्राचीन शिव मन्दिर है जो हिन्दुओं का मंदिर है। जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह मन्दिर शिव कुण्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मन्दिर 500 साल पुराना है। इस मन्दिर के कुण्ड में स्नान करने से त्वचा के रोग ठीक हो जाते हैं। इस मन्दिर में भगवान शिव लिंग सुबह के समय एक बच्चे की तरह दिन में एक जवान की तरह और शाम को जैसे बूढ़ा आदमी ध्यान मुद्रा में बैठा हो ऐसा लगता है। यहाँ शिवरात्री के दिन मेले का आयोजन होता है।

3. **कुरुक्षेत्र जिले के मन्दिर –**

1. **स्थानेश्वर महादेव मन्दिर** – यह मन्दिर थानेसर नामक स्थान पर है। इस मन्दिर का उल्लेख पुराणों के केदारखंड में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव लिंग के रूप में पहली पूजा यहीं कि गई थी। महमूद गजनवी ने आक्रमण के दौरान इस मन्दिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसे फिर से मराठा साम्राज्य के सदाशिव राव के द्वारा ठीक कराया गया।
2. **सर्वेश्वर महादेव मन्दिर** – यह महादेव मन्दिर ब्रह्म सरोवर में स्थित है। इस मन्दिर को एक धनुषाकार पुल के माध्यम से धरती से जोड़ा गया है। शुरुआत में यह मन्दिर भगवान शिव को समर्पित था लेकिन अब इसमें भगवान हनुमान व भगवान गरुड़ जी किया प्रतिमा भी इस मन्दिर में शोभायान है।
3. **बिरला मन्दिर** – यह थानेसर में स्थित है इसको राज्य का सबसे बडा मन्दिर होने का गौरव प्राप्त है। इस मन्दिर का निर्माण श्री जुगल किशोर बिरला ने सन 1958 में करवाया था। यह संगमरमर का एक विशाल मन्दिर है। इस मन्दिर की दीवारों पर श्रीमद भगवत गीता के सभी 18 अध्यायों को बड़े ही सुन्दर ढंग से अंकित किया गया है।
4. **देवीकूप भद्रकाली मन्दिर** – यह कुरुक्षेत्र में स्थित मन्दिर है जो माता को 52 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर माता सती का दायाँ पैर (घुटने के नीचे का भाग) गिरा था। इस मन्दिर में साल में 2 बार आने वाले नवरात्री बड़े ही धूम – धाम से मनाए जाते हैं।
5. **अदिति मन्दिर** – कुरुक्षेत्र के अमीन नामक गाँव में यह ऐतिहासिक और प्राचीन मन्दिर स्थित है। इसी स्थान पर अदिति ने सूर्य को जन्म देने से पूर्व तपस्या की थी इसी कारण इसका नाम अदिति मन्दिर रखा गया था।

4. **महेंद्रगढ़ के प्रमुख मन्दिर –**

1. **शिव मन्दिर** – महेंद्रगढ़ से दूर कनीना – दादरी मार्ग पर स्थित गाँव बाघोत का प्राचीन शिव मन्दिर चिरकाल से उत्तरी भारत में लाखों नर – नारियों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ शिवरात्री का मेला धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार प्राचीनकाल में यह मन्दिर भागवत कथा का प्रमुख केंद्र था। इसलिए इसका नाम बाघोत पड़ा।
2. **मोडवाला मन्दिर** – नारनौल का यह मन्दिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर शिवलिंग भूमि से प्रकट हुआ था।
3. **चामुण्डा देवी मन्दिर** – यह नारनौल में स्थित एक प्राचीन मन्दिर है। यह मन्दिर चौरासी स्तंभों का है लेकिन अभी कुछ ही स्तम्भ बाहर दिखाई देते हैं। इन स्तंभों पर अशोककालीन चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। राव – नवमी के दिन बड़ा मेला लगता है।

5. **कैथल के प्रमुख मन्दिर**

1. **राधेश्याम मन्दिर** – कैथल के पुण्डरीक कस्बे में यह मन्दिर स्थित है। इस मन्दिर में राधे – श्याम की विशाल प्रतिमा है। यहाँ जन्माष्टमी के दिन मेला लगता है।
2. **गीता मन्दिर** – यह भी कैथल का विशाल मन्दिर है। यहाँ पर भगवती देवी और गौरीशंकर की मूर्ति है। मन्दिर के साथ एक विशाल वटवृक्ष है। कहा जाता है कि यह वटवृक्ष पांडवों के समय से है।
3. **शिव मन्दिर** – यह पुण्डरीक तीर्थ में स्थित प्राचीन मन्दिर है। पहले इस मन्दिर पर मुसलमानों का अधिकार था। इस मन्दिर में शिवजी की विशाल मूर्ति है, जो आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है।

4. **प्राचीन हनुमान मन्दिर** - कैथल में स्थित यह मन्दिर 500 वर्ष पुराना है। इस मन्दिर के पीछे एक मस्जिद भी स्थित है। यह मन्दिर लगभग एक मंजिल की ऊँचाई पर स्थित है।

5. **वृद्ध के दारेश्वर मन्दिर** - कैथल में स्थित इस मन्दिर के सरोवर में स्नान करने से केदारनाथ यात्रा के बराबर पुण्य मिलता है। यहाँ एक शिवालय भी है। जिसका निर्माण राजा उदयचंद्र ने करवाया था।

6. **फरीदाबाद के मन्दिर -**

दाऊजी का मन्दिर - फरीदाबाद में जीटी रोड़ पर स्थित बंचारी गाँव में दाऊ जी का मन्दिर है

यह श्री कृष्ण के भाई बलराम की याद में बना प्राचीन मन्दिर है। यहाँ से ब्रज क्षेत्र का आरम्भ होता है। यह उनकी कार्यस्थली थी।

पंचवटी मन्दिर - यह मन्दिर फरीदाबाद के पलरव में स्थित है। यह मन्दिर पांडवों से संबंधित है। अज्ञात वास के समय पांडवों ने यहीं पर कुछ समय व्यतीत किया था।इस मन्दिर में द्रोपती के नाम से एक तालाब और पाँच वट वृक्ष भी है।

7. **यमुनानगर के प्रमुख मन्दिर**

1. **चिट्टा मन्दिर** - यह मन्दिर यमुनानगर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से है। यह यमुनानगर नगर के भाटिया नगर में स्थित है। इस चिट्टे हलुमान मन्दिर का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर हलुमान जी की सफेद रंग की मूर्ति स्थापित है। जिसका निर्माण 60 वर्ष पहले हुआ। ऐसा माना जाता है कि युद्ध में जाते हुए पांडवों को इस स्थान पर हलुमान जी ने दर्शन दिए थे। इस मन्दिर में सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को मेला लगाता है।

2. **सूर्यनारायण मन्दिर** - यह मन्दिर यमुनानगर के अमादपुर में स्थित है इस मन्दिर पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है। इस मन्दिर को 1983 में स्वामी अखिलानंद ने बनवाया था।

3. **पंचकालीन जैन मन्दिर** - यह बूड़िया नामक स्थान पर स्थित है। यह 500 वर्ष पुराना पंचकाल का श्री दिगम्बर जैन मन्दिर है। जैन सम्प्रदाय का यह प्रमुख मन्दिर है।

4. **आदि बद्री नारायण मन्दिर** - यह मन्दिर यमुनानगर के काठगढ़ गाँव में स्थित है। यह स्थान पौराणिक महत्व रखने वाली, लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। इस मन्दिर का निर्माण 1200 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। यहाँ प्रत्येक वर्ष बैसाख की सातवीं तीज को मेला लगता है।

8. **रोहतक के प्रमुख मन्दिर** -

1. **शिव मन्दिर - किलोई** - किलोई गाँव का शिव मन्दिर रोहतक से 20 km दूर है। यह मन्दिर 300 वर्ष पुराना है। इस मन्दिर में लगभग 2000 साल पुराना शिवलिंग है। यह पुरातत्व विभाग के अनुसार दाबा किया गया है। श्रावण व फाल्गुन मास में होने वाली शिवरात्री पर बहुत दूर से श्रद्धालु यहाँ आते है।

9. **जींद के प्रमुख मन्दिर -**

1. **जीतगिरी मन्दिर** - यह मन्दिर जींद जिले के काकदौड़ गांव में स्थित है। इस मन्दिर में बाबा जीतगिरी की समाधि पर प्रतिदिन ज्योति जलाई जाती है। यहाँ स्थित शिवलिंग के विषय में कहा जाता है कि यह ऐसे पाषाण से निर्मित है, जो हिमालय की नदियों के तीव्र वेग से नदियों के तल में लुढ़कता व घिसता रहा।

2. **भूतेश्वर मन्दिर जींद** - यह प्राचीन शिव मन्दिर है। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। यह शिव मन्दिर जींद के चार तीर्थों जयंत तीर्थ, भूतेश्वर तीर्थ, सोमतीर्थ तथा ज्वालमालश्वर तीर्थों में से एक है। यह मन्दिर एक विशाल सरोवर के मध्य स्थित है। इस सरोवर को रानी के तालाब के नाम से जाना जाता है।

राज्य के अन्य मन्दिर -	
मन्दिर	**स्थान**
माता भीमेश्वरी मन्दिर	झज्जर (बेरी)
रोडमल मन्दिर	झज्जर (बेरी)
गरीबदास धाम	(छुडानी) झज्जर
प्राचीन ईंटों का मन्दिर	कैथल, (कलायत)
ग्यारह रुद्री शिव मन्दिर	कैथल
नवग्रह कुण्ड	कैथल
काली माता मन्दिर	कालका (चंडीगढ़)
माता समलोडा देवी (पिंजौर)	मोरनी हिल्स
माता बाबा संदुरी	करनाल
एकलव्य मन्दिर	खाँडसा (गुरुग्राम)
घंटेश्वर मन्दिर	रेवाड़ी
बाबा मस्त नाथ मन्दिर	रोहतक
देवी तालाब शिव मंदिर	पानीपत
विष्णु मन्दिर	भिवानी (तोशाम)
मोटी माता शिव मंदिर	भिवानी (धनाना)
गुरु गोरखनाथ मन्दिर	सोनीपत (गोरड़)
दादी सती मंदिर	सिरसा (कुम्हारिया)
इमलोटा मंदिर	चरखी- दादरी
कुतानी का ठाकुरद्वारा	झज्जर
डीघल गाँव का शिवालय	झज्जर

- ***मिहिर भोज*** - रामभद्र के बाद में मिहिरभोज ने गुर्जर प्रतिहार राज्य की बागडोर संभाली। उसने सिक्कों पर अपनी उपाधि 'आदिविराह' उत्कीर्ण करवाई यह प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक को माना जाता है। मिहिरभोज के शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुआ तथा वह पेहोवा एक व्यापारिक केन्द्र के रूप में स्थापित हुआ। मिहिरभोज कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। मिहिर भोज ने 836 ई.- 885 ई. तक शासन किया ।885 ई. में निधन के बाद मिहिरभोज का पुत्र महेंद्रपाल शासक बना, परन्तु वह पिता की तरह योग्य सिद्ध नहीं हुआ।
- पेहोवा से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता हैं कि महेंद्रपाल के शाशकों के दौरान हरियाणा का एक विस्तृत क्षेत्र उसकी अधिपत्य से बाहर निकाल चुका था। इससे यह भी ज्ञात होता हैं कि जौल (जाऊल) नामक एक तोमर सरदार ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। जौल ज्येष्ठ पुत्र वज्रट भी अपने पिता कि तरह वीर और पराक्रमी था।
- उसके नेतृत्व में हरियाणा में शान्ति व्यवस्था कायम रही। वज्रट का पुत्र जज्जुक भी एक योग्य सरदार था। वह परिस्थितियों का समझता था।
- 910 ई. में महेंद्रपाल के निधन के बाद राजनैतिक अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो गया, इसी परिस्थिति का लाभ उठाते हुए, जज्जुक के तीनों पुत्र गोगा, पूर्णराज्य एवं देवराज ने हरियाणा के सन्नीपवर्ती क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर स्वतंत्र रूप से तोमर शासन कि नींव रखी। राजेश्वर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे।

➢ हरियाणा और तोमर वंश

- पूर्व मध्यकाल के इतिहास में तोमारों का महत्वपूर्ण स्थान है।
- 17 वीं सदी के कवि के अनुसार राजपूतों के केवल 3 कुल ही महत्वपूर्ण रह गए थे ।
- चौहान, तोमर और पंवार ।
- शेष सभी कुल के समान माने गए थे।
- तोमरों कि उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद हैं कोई इन्हें विदेशी आक्रमणकारीयो कीसंतान बताता हैं तो कोई आर्यों की।
- मुगलकालीन इतिहासकार खड़गराम के अनुसार तोमर वंश के शासक सोमवंशी क्षत्रिय थे। 1631 ई. के शीलालेख में तौमर को सोमवंशी क्षत्रिय एवं पांडवों का वंशज माना गया है।
- पेहोवा शीलालेखों से पता चलता है कि हरियाणा में तोमर वंश का उदय जौल (जाऊल) नामक सरदार के द्वारा हुआ। इसी शीलालेख से यह भी ज्ञात होता है कि जौल एक स्वतंत्र शासक नहीं था, वह तोमर शासक कि पाँचवी पीढ़ी से पैदा हुआ था। अनंगपाल ने ही तोमर राज्य की नीव रखी थी। जिसकी राजधानी ढ़ील्लिका (दिल्ली) थी।
- ऐतिहासिक स्त्रोतों से पता चलता है कि जौल प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार कर अपनी मुद्राएँ चलवाई।
- जौल के बाद आपृच्छदेव तोमर वंश का शासक बना। जिसने तोमरों कों बहुत समय पश्चात पूर्ण सत्ता प्रदान की।
- आपृच्छदेव के बाद उसका उत्तराधिकारी पीपलराज देव हुआ। पीपलदेव एक स्वतंत्र शासक था। पीपल राजा कि मुद्राएँ भी मिलती हैं जो उसके स्वतंत्र शासक होने का परिणाम प्रस्तुत करती हैं।
- पीपल राजदेव के पश्चात तीन अन्य राजाओं - रघुपाल, विल्हणपाल और गोपाल का उल्लेख मिलता है। इन राजाओं की कोई प्रचलित मुद्राएँ नहीं मिलती, जो यह सिद्ध करती हैं कि यह स्वतंत्र शासक नहीं थे।

➢ चौहान एवं तोमर शासकों के मध्य संघर्ष

- हर्षनाथ के शीलालेख से यह जानकारी मिलती है कि तोमरों की कमजोर स्थिति और राजनैतिक आस्थिरता के मध्य चौहान एवं तोमरों के मध्य संघर्ष हुए।
- इसी शीलालेख से पीपलराज देव और विल्हण पाल के साथ शाकम्भरी के चौहान शासकों के संघर्ष होने के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें तोमर शासकों की हार हो गई थी। तोमर शासक पीपल राज को उनके समकालीन चौहान शासक चन्दन पराजित किया था।
- पीपलराज के उत्तराधिकारी रघुपाल व विल्हण भी चौहान शासकों से पराजित हुए। विल्हणपाल के पुत्र गोपाल ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चौहान शासक से सिंहपाल से युद्ध किया, परन्तु वह हार गया।
- गोपाल के बाद उत्तराधिकारी सुलक्षणपाल बना। सुलक्षणपाल ने अपने शासनकाल में नई मुद्रा प्रचलित करवाई।
- इससे सिद्ध होता है कि वह एक स्वतंत्र राजा था।
- सुलक्षणपाल के बाद उत्तराधिकारी बना।
- इस बीच भारत में तुर्कों का आक्रमण होना आरंभ हो गया। ऐसा माना जाता है कि तुर्क आक्रमण का संयुक्त रूप से सामना करने हेतु चौहान और तोमर शासकों में संधि कर ली।

- ***राज्य के नगरों के प्राचीन नाम***

प्राचीन नाम	वर्तमान नाम
1. असन्धिवत	असन्ध
2. नरराष्ट्र	नारनौल
3. कलकूट	कालका

4. युगन्धर	जगाधरी
5. स्थाण्वीश्वर	थानेश्वर
6. कपिल स्थल	कैथल
7. पंचमपुर	पिंजौर
8. महेस्थ	महम
9. आशी	हाँसी
10. कंन्नोड	महेंद्रगढ़
11. सर्पदमन	सफीदो
12. गुरुग्राम	गुरुग्राम
13. प्रकृतनाक	नोरंगाबाद
14. शोणप्रस्थ	सोनीपत
15. पनप्रस्थ	पानीपत
16. पृथुदक	पेहोवा
17. अग्रोदका	अग्रोहा
18. खावाडी	रेवाड़ी
19. अम्बाला	अम्बाला
20. शर्यणवत	कुरुक्षेत्र
21. रोहिताश	रोहतक
22. शैरीषकम	सिरसा
23. इकदार	फतेहबाद
24. जयन्तपुरी	जिन्द
25. अपलवा	पलवल
26. अब्दुल्लापुर	यमुनानगर
27. शरफाबाद	बहादुरगढ़
28. गवनमोहाना	गोहाना

- ***<u>हरियाणा के प्राचीन अवशेषों के प्राप्ति स्थान</u>***

अवशेष	**स्थान**
1. गुर्जर प्रतिहारकालीन अभिलेख	पेहोवा
2. बलीराम की मूर्ति	रोहतक
3. अग्रेय जनपद के सिक्के	अग्रोहा (हिसार)
4. मिट्टी की मुहरें	दौलतपुर
5.रामायण श्लोककांकित फलक	भिवानी
6. यक्ष की मूर्तियाँ	पलवल
7. जैन मूर्तियां	हाँसी

8. हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं	सोनीपत
9. गुप्तकालीन मुद्राएं	रोहतक
10. कुणिन्दकालीन सिक्के	करनाल
11. टकसालें	अग्रोहा, बरवाल, औरंगाबाद
12. यौधेयकालीन साँचे	रोहतक (खोखराकोट)
13. सिक्के ढालने के साँचे	खोखराकोट, औरंगाबाद
14. सोने,तांबे के सिक्के	मिताथल (भिवानी)
15. इण्डो - ग्रीक सिक्के	खोखराकोट
16. कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के	मिताथल
17. हड़प्पा सभ्यता के अवशेष	भिवानी
18. मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष	हिसार व फतेहाबाद

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय – 2

मध्यकालीन इतिहास के स्त्रोत

❖ तुर्क आक्रमण और हरियाणा

- भारत के मध्यकालीन इतिहास का आरंभ भारत पर मुस्लिम आक्रमण के समय से माना जाता है। हरियाणा भारत के उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण इन आक्रमणों से अधिक प्रभावित रहा।
- मुस्लिम आक्रमणकारियों में महमूद गजनवी प्रमुख था, जिसने अपने आक्रमण के दौरान हरियाणा प्रदेश का प्रयोग रास्ते के लिए किया था।

  अतः हरियाणा में इसके आक्रमण से हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास के प्रारंभ को देखा जा सकता है।
- पाल वंश के शासक जयपाल के शासक बनने के साथ ही भारत के पाश्चिमोत्तर भाग से तुर्क आक्रमण होने प्रारंभ हो गए। 10 वीं सदी के अंतिम चरण में बगदाद के खलीफा की शक्ति समाप्त होने के बाद उसके उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन ने गजनी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की।
- गजनी के शासक सुबुक्तगीन 986 ई. में हिन्दू शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित कर पेशावर तक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 997 ई. में सुबुक्तगीन के निधन के बाद उसका उत्तराधिकारी महमूद गजनबी बना।

महमूद गजनवी का आक्रमण एवं तोमर शासक जयपाल

- महमूद गजनवी जिसने 971 से 1030 AD तक शासन किया। भारत की धन - संपत्ति से आकर्षित होकर गजनवी ने भारत पर कई आक्रमण किए। उसके आक्रमण का मुख्य मकसद भारत की संपत्ति को लूटना था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए।
- गजनवी ने पहली बार 1000 AD में वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर हमला किया। इसने हिन्दू शासक जयपाल को पराजित किया। जिसने बाद में आत्महत्या कर ली और उसका पुत्र आनंदपाल उसका उत्तराधिकारी बना।
- 1000 ई. में महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी का भारत पर यह छठा आक्रमण था। इस समय हरियाणा क्षेत्र का शासक तोमर राजा जयपाल था। महमूद गजनवी बिना युद्ध किए ही वापिस लोट गया।
- 1014 ई. में महमूद गजनवी ने थानेसर पर फिर आक्रमण किया। मारकण्डा नदी के तट पर राजा जयपाल व महमूद गजनवी की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महमूद गजनवी की विजय हुई और 1014 ई. में थानेसर पर कब्जा कर लिया
- गजनवी ने थानेसर में लूटपाट की तथा वहाँ के मन्दिर में स्थित कांसे से बनी चक्रस्वामी की मूर्ति को नष्ट कर दिया।
- महमूद गजनवी एक मूर्तियाँ तोड़ने वाला आक्रमणकारी था।
- महमूद गजनवी की थानेसर पर विजय के बाद भी तोमर शासक जयपाल इस क्षेत्र पर 1021 ई. तक शासन करता रहा।

मसूद एवं मादूद का आक्रमण –

- 1030 ई. में महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसका पौत्र मसूद गद्दी पर बैठा।
- 1037 में मसूद ने हाँसी पर आक्रमण कर दिया और तोमर वंश के शासक कुमारपाल देव को पराजित करके हाँसी सहित आसपास के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया।
- 1043 में मसूद के पुत्र मादूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया परन्तु इस बार वह शासक कुमारपाल देव द्वारा पराजित हुआ। हरियाणा 1043 ई. में महमूद गजनवी के शासन से मुक्त हुआ।
- 1051 ई. में कुमारपाल देव का उत्तराधिकारी अनंगपाल द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसने 1081 ई. तक शासन किया।
- 1081 ई. में गजनी का शासक इब्राहिम था, जिसने हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण किया। उस समय हरियाणा का शासक अनंगपाल का उत्तराधिकारी तेजपाल था। जिसने आक्रमण किए बिना इब्राहिम की अधीनता स्वीकार कर ली।

चौहानों का हरियाणा में उदय –

तोमरों की कमजोर स्थिति को देखकर 1139 ई. में चौहान नरेश अरुण राज ने हरियाणा पर आक्रमण किया। अरुण राज ने तोमर राज्य को पूर्णतः नष्ट करके तोमर शासकों को अपने अधीन सामंत शासक बना लिया।

- इस प्रकार आंतरिक शासन तोमरों के हाथ में रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि तोमरों ने देखा कि चौहानों की स्थिति कमजोर है। वे स्वतंत्र होने की चेष्टा करने लगे।
- विग्रहराज और तोमरों के बीच इसलिए संघर्ष होते रहे हैं।
- विग्रहराज चौहान वंश का एक शक्तिशाली शासक था। उसने 'महाराजाधिराज परमेश्वर' की उपाधि धारण की थी।
- उसने तोमरों की शक्ति को पूरी तरह कुचल कर दिल्ली तथा हाँसी के दुर्गों पर अपना कब्जा कर लिया। इस प्रकार इस क्षेत्र के वास्तविक शासक चौहान हो गए, परन्तु विग्रहराज ने तोमरों के पास सामन्ती अधिकार रहने दिया।

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

1. भारत में ब्रिटिश शासन काल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में से निक्षेपण अधिनियम' के नाम से जाना जाता है?

A. भारत शासन अधिनियम, 1919
B. भारत परिषद् अधिनियम, 1909
C. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892
D. भारत शासन अधिनियम, 1935

उत्तर - A

2. योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था ?

A. ली आयोग
B. मैकाले समिति
C. इसलिंगटन
D. मैक्सवेल समिति

उत्तर - B

3. निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?

A. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892 :निर्वाचन का सिद्धांत
B. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 : उत्तरदायी सरकार
C. भारत शासन अधिनियम, 1919 : प्रांतीय स्वायत्तता
D. भारत शासन अधिनियम, 1935 : राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका

उत्तर - A

4. भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित थी?

A. संघीय व्यवस्थापिका
B. प्रांतीय व्यवस्थापिका
C. गवर्नर जनरल
D. प्रांतीय गवर्नर

उत्तर - C

5. निम्न में से किस अधिनियम के प्रान्तों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गयी ?

A. भारत शासन अधिनियम, 1919
B. भारत शासन अधिनियम, 1935
C. भारत परिषद् अधिनियम,1909
D. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892

उत्तर - A

6. भारत शासन अधिनियम, 1919 मुख्यतया: किस पर आधारित था?

A. मार्ले-मिंटो सुधार
B. मांटेग्यू - चेम्सफोर्ड सुधार
C. रैमजे मैक्डोनाल्ड अवार्ड
D. नेहरू रिपोर्ट

उत्तर - B

7. भारत शासन अधिनियम, 1935 की प्रमुख विशेषताएं हैं?

1. भारत में परिषदों का उन्मूलन
2. केन्द्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका
3. राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का उन्मूलन
4. संघीय न्यायालय की स्थापना

A. 2 एवं 3
B. 1, 3 एवं
C. 1, 2, एवं 3
D. 1,2, 3, 4

उत्तर - D

8. निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी?

A. विनियमितीकरण अधिनियम, 1773
B. पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784
C. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861
D. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892

उत्तर - A

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

सारांश

- 1935 के अधिनियम में से करीब 250 उपबंधों को शामिल किया गया।
- भारतीय संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं। (मूलत संविधान)
- अमेरिकी संविधान में मूलतः केवल 7 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलियाई संविधान में 128, चीनी संविधान में 138, और कनाडाई संविधान में 147 अनुच्छेद हैं।
- 2019 तक जम्मू एवं कश्मीर का अपना संविधान था और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत् उसे विशेष दर्जा प्राप्त था। 2019 में राष्ट्रपति के एक आदेश संविधान (जम्मू एवं कश्मीर पर लागू) आदेश 2019 द्वारा यह विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया।
- मूलतः संविधान में सात मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी तथापि समाप्ति के अधिकार (अनु. 31) को 44 वें संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए मूल अधिकारों को हटा दिया गया इसको संविधान के भाग XII में अनु. 300-क के तहत् कानूनी अधिकार बना दिया गया।
- 1909, 1919 और 1935 अधिनियमों ने सामूहिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की।
- पश्चिमी देशों में मताधिकार को धीरे-धीरे विस्तार रूप दिया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व 1920 में दिया। ब्रिटेन ने 1928 में, सोवियत संघ (रूस) ने 1936, फ्रांस 1945, इटली ने 1948 और स्विट्जरलैंड ने 1971 में।
- इस समय तीन अखिल भारतीय सेवाएँ हैं - भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस)। 1947 में भारतीय नागरिक प्रशासन सेवा (आईसीएस) को आईएएस में परिवर्तित कर दिया गया और भारतीय पुलिस (आईपी)को आईपीएस में। इन्हें अखिल भारतीय सेवा के रूप में मान्यता दी गई। 1963 में आईएफएस बनाया गया, जो 1966 से अस्तित्व में आया।
- संविधान के भाग IX के द्वारा प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की स्थापना की गई। ये तीन स्तर थे - ग्राम सभा, मध्य एवं जिला पंचायत।
- संविधान का भाग IX-क प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार के न्यायपालिकाओं की व्यवस्था करता है, ये हैं - संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद् और वृहद शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम।

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

1. निम्न में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है?

A. सशक्त केन्द्र सरकार के साथ संघीय व्यवस्था
B. केन्द्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति
C. उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णयन
D. राज्य सभा के लिए सदस्यों का नामांकन

उत्तर – (D)

2. निम्न में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था?

A. न्यायिक समीक्षा
B. कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया
C. संसदीय विशेषाधिकार
D. आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन

उत्तर – (C)

3. भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा .....से ली गई है।

A. रूस B. इंग्लैंड
C. संयुक्त राज्य D.जर्मनी **उत्तर –(A)**

4. भारतीय संविधान में नागरिकता पर अनुभाग किस देश के संविधान से प्रेरित है?

A. फ्रांस B. संयुक्त राज्य अमेरिका
C. ऑस्ट्रेलिया D. यूके **उत्तर – (D)**

5. भारत के संविधान का मूल दस्तावेज ___ द्वारा लिखित है?

A. डॉ. भीमराव अम्बेडकर
B. सरोजिनी नायडू
C. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा
D. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद **उत्तर – (C)**

6. संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?

A. जवाहरलाल नेहरू
B. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
C. डॉ राजेन्द्र प्रसाद
D. सरदार वल्लभ भाई पटेल **उत्तर – (B)**

7. निम्न में से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?

A. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
B. जवाहरलाल नेहरू
C. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
D. सरदार पटेल **उत्तर – (C)**

(iii) यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्रविरोधी सूचना दी हो।

(iv) पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के पांच वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में दो वर्ष की कैद हुई हो।

(v) नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर सात वर्षों से रह रहा हो।

एकल नागरिकता

- **भारत में एकल नागरिकता है।**
- भारतीय संविधान संघीय है और दोहरी राज पद्धति को अपनाया लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था है।
- **लगातार 7 साल बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है।**
- नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्ते निर्धारित करने वाला निकाय संसद है।

अध्याय – 5

नागरिकों के मौलिक अधिकार

भारत के संविधान के **भाग तीन में अनु. 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों से संबंधित** प्रावधान है।

मौलिक अधिकारों की अवधारणा को **U.S.A से** अपनाया गया है। भारत की व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित महत्व हैं।

(1) मौलिक अधिकारों के माध्यम से राजनीतिक एवं प्रशासनिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। अर्थात् कोई भी नागरिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राजनीति में भागीदारी कर सकता है और प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर प्रशासन का हिस्सा बन सकता है।

(2) मौलिक अधिकारों के माध्यम से सरकार की तानाशाही अथवा व्यक्ति विशेष की इच्छा पर नियंत्रण स्थापित होता है।

(3) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा स्थापित होती है।

(4) मौलिक अधिकारों के माध्यम से विधी के शासन की स्थापना होती है।

(5) मौलिक अधिकारों के माध्यम से अल्पसंख्यक और दुर्बल वर्ग को सुरक्षा प्राप्त होती है।

(6) मौलिक अधिकारों के माध्यम से पंथनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को सुरक्षा प्राप्त होती है और इसको बढ़ावा मिलता है।

(7) मौलिक अधिकार सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय यात्रा की स्थापना करते हैं।

(8) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा होती है।

(9) मौलिक अधिकार सार्वजनिक हित एवं राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देते हैं।

संविधान के भाग -3 को 'भारत का मैग्नाकार्टा' की संज्ञा दी गयी है जो सर्वथा उचित है इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में 'न्यायोचित ' मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

- मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है, ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं,

  ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं : संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है न की व्यक्तियों की।

मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ

(1) मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य हैं । अर्थात् मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुरक्षा के लिए न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(2) कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से सम्बंधित हैं। जबकि कुछ मौलिक अधिकार व्यक्ति से संबंधित हैं।

(3) **मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाया गया है।**

(4) मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गये हैं। इसलिए ये राज्य के लिए नकारात्मक जबकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक हैं।

(5) ये राज्य के प्राधिकार की कम करते हैं और व्यक्ति के सम्मान को बढ़ावा देते हैं।

(6) संसद को भी यह अधिकार नही कि वह मौलिक अधिकार से सम्बंधित मूल ढ़ाचे में परिवर्तन कर सके। (नकारात्मक परिवर्तन)

(7) आपातकाल के समय अनु० 20 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।

(8) मौलिक अधिकार शत्रु देश के नागरिक तथा अन्य देशों को प्राप्त नहीं हैं।

राज्य की परिभाषा :-

- मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में 'राज्य ' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह अनु. 12 में भाग - 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं :-

  (अ) कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत सरकार ।

  (ब) राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य सरकार ।

  (स) सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगरपालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार न्यास आदि।

  (द) अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर - संवैधानिक प्राधिकरण जैसे - एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, आदि।

- उच्चतम न्यायालय के अनुसार, कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' के अर्थ में आती है।

प्रश्न. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए?

A. मूलअधिकारों एवं राज्य नीति के निदेशक तत्वों को यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए साम्य संरचना का सिद्धांत अपनाया गया है।

B. 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर अनुच्छेद 31(ख) एवं (ग) में उल्लेखित राज्य नीति के निदेशक तत्वों की वरीयता से संस्थापित की है

कूट -

a. केवल A सही है।

b. केवल B सही है।

c. (A) एवं (B) दोनों सत्य है।

d. (A) एवं (B) दोनों गलत है।

उत्तर – c

मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ :-

अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी, दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य हैं, यह शक्ति उच्चतम न्यायालय (अनु.32) और उच्च न्यायलयों (अनु. 226) को प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर - संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं ।

अनु. 13 के अनुसार 'विधि' शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है :-

(अ) स्थायी विधियाँ, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित।

(ब) अस्थायी विधियाँ, जैसे -राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश ।

(स) प्रत्यायोजित विधान (कार्यपालिका विधान) की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे - अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना आदि।

मौलिक अधिकारों की आलोचना –

(1) इनका कोई स्पष्ट दर्शन नहीं है। अधिकांश मौलिक अधिकारों की व्याख्या उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ दी गई है।

(2) इनमें स्पष्टता का अभाव है और ये सामान्य लोगों की समझ से बाहर है।

(3) मौलिक अधिकार आर्थिक व्यय की स्थापना नहीं करते।

(4) **आपातकाल के समय इनका निलंबन हो जाता है।**

Note- अनुच्छेद -21 का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता ।

(5) निवारक निरोध जैसे प्रावधान मौलिक अधिकारों को कमजोर करते हैं और राज्य को नागरिकों पर हावी कर देते हैं ।

(6) संसद के अधिकार हैं कि अनुच्छेद - 368 का प्रयोग कर इनमे कमी कर सकती है।

(7) मौलिक अधिकारों के संबंध में मिलने वाला न्याय अत्यधिक महंगा हैं तथा प्रकिया जटिल है।

मौलिक अधिकार

अनु. 12 राज्य -	**अनु. 13**
(i) संघ सरकार एवं संसद (ii) राज्य सरकार एवं विधानमंडल (iii)स्थानीय प्राधिकरण / प्राधिकारी (iv) सार्वजनिक अधिकारी अन्य वे निजी संस्थाए जो राज्य के लिए कार्य करती हो	कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती हैं तो अतिक्रमण की सीमा तक शून्य हो जाएगी । **विधि** (i) स्थाई विधि – संसद एवं विधानमण्डल द्वारा निर्मित (ii) अस्थाई विधि – जब राष्ट्रपति व राज्यपाल अध्यादेश जारी करें । (iii)कार्यपालिका के द्वारा निर्मित नियम/विधि (iv)ऐसी विधि जो संविधान पूर्व की हो

प्रश्न. निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है?

a. देश के किसी भाग में बसने का अधिकार

b. लिंग समानता का अधिकार

c. सूचना का अधिकार

d. शोषण के विरुद्ध अधिकार

उत्तर – c

(1) समता का अधिकार :- (अनु. 14-18)

i. विधि के समक्ष एवं विधियों का समान संरक्षण-

संविधान के अनु० 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान है। **विधी के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन से** प्रभावित हैं । विधी के समक्ष समता से आशय हैं, विधी सर्वोच्च होगी। और कोई भी विधिक व्यक्ति विधी से ऊपर नहीं होगा।

विधी के समक्ष समता की निम्नलिखित विशेषताए होती हैं –

(a) कोई भी व्यक्ति (गरीब, अमीर, प्राधिकारी अथवा सामान्य व्यक्ति, सरकारी संगठन गेर सरकारी संगठन) विधी से ऊपर नही होगा ।

(b) किसी भी व्यक्ति के लिए अथवा व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार नहीं होंगे।

(c) न्यायालय सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेंगा।

विधि के समक्ष समता के सिद्धांत के भारत के संबंध में निम्नलिखित अपवाद है।

(i) भारत का राष्ट्रपति अथवा राज्यों के राज्यपाल पर पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नही चलाया जाएगा।

(ii) राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को इन पदों पर रहते हुए लिए गए निर्णयों के संबंध में न्यायालय में प्रश्नगत नही किया जायेगा ।

(iii) कोई व्यक्ति यदि संसद अथवा राज्य विधानमंडल की कार्यवाही को उसी रूप में प्रकाशित करता हैं तो उसे दोषी नही माना जायेगा ।

(iv) संसद अथवा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को सदन की कार्यवाही के आरम्भ होने के 40 दिन पूर्व तथा कार्यवाही के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी दीवानी मामले में न्यायलय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नही किया जायेगा।

(v) विदेशी राजनयिक अथवा कूटनीतिज्ञ फौजदारी मामलों एवं दीवानी मामलों से मुक्त होंगे ।

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे- UNO, ADB, WB, IMF आदि के अधिकारी एवं कर्मचारी दीवानी एवं फौजदारी मामलों से मुक्त होंगे ।

विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा U.S.A. की देंन है ।

विधियों के सामान संरक्षण से आशय है। "समान के साथ सामान व्यवहार तथा असमान के साथ असमान व्यवहार"

इस अवधारणा को सकारात्मक माना जाता हैं, क्योंकि इसके माध्यम से किसी के साथ अन्याय नही होता ।

भारत में बाल सुधार कानून, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष कानून, महिलाओ के लिए विशेष कानून इसका उदाहरण हैं ।

कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध

- अनु. 15 में यह प्रावधान हैं कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नही करेगा । यह व्यवस्था राज्य और व्यक्ति दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं ।
- इसमें प्रावधान हैं कि राज्य के द्वारा दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयो, होटल, मनोरंजन के स्थान आदि पर उपर्युक्त आधारों पर भेदभाव नही किया जायेगा ।

(iii) किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को सरकार पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र का घोषित कर स्वंय के लिए आरक्षित रख सकती हैं।

(iv) सरकार को यह भी अधिकार हैं कि किसी समूह अथवा उत्पादक वर्ग अथवा व्यवसायी वर्ग के अधिकारो की सुरक्षा हेतु निश्चित नियम बना सकती हैं।

अनु. -20 - अपराधो के संबंध में अथवा दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण

इसमें प्रावधान हैं कि -

(i) किसी व्यक्ति को तब तक किसी अपराध के संबंध में दोषी नही ठहराया जायेगा जब तक उसने किसी प्रचलित विधि का उल्लंघन नही किया हो ।

(ii) किसी व्यक्ति को वही दण्ड दिया जायेगा जो अपराध करते समय लागू। अर्थात् बाद में बनाई गई विधी के अनुसार व्यक्ति को दण्डित नही किया जायेगा । लेकिन ये केवल आपराधिक मामलों पर ही लागू होता हैं। सिविल मामलो के संबंध में अपराध के बाद बनाई गई विधि के अनुसार व्यक्ति को दण्डित किया जा सकता।

(कर चोरी, दिवालिया होना या किसी प्रकार के दिवानी से सम्बंधित प्रावधान)

(iii) किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दण्डित किया जायेगा।

(iv) किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति की स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने गवाही देने के लिए बाध्य नही किया जाएगा।

अनु. 21 :- इसमे प्रावधान हैं कि किसी व्यक्ति को उसके **प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधी के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा।**

सर्वोच्च न्यायालय में अनु. 21 को समय-समय पर अधिक से अधिक प्रसारित किया। वर्तमान समय में इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हो चुके हैं -

i. निजता का अधिकार।

ii. स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार।

iii. मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार।

iv. दुर्घटना के समय प्राथमिक उपचार का अधिकार।

v. निः शुल्क कानूनी सहायता का अधिकार ।

vi. हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार ।

vii. सूचना का अधिकार ।

viii. कारावास में अकेले बंद करने के विरुद्ध अधिकार।

ix. देरी से फांसी के विरुद्ध अधिकार ।

x. फ़ोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार ।

xi. विदेश यात्रा का अधिकार

xii. नींद का अधिकार

शिक्षा का अधिकार :- (अनु.21-A)

86 वे संविधान संशोधन अधि. - 2002 के माध्यम से इसे संविधान में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान हैं कि **राज्य 6-14 आयु वर्ग के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा।**

इसके संबंध राज्य विधी बनाकर शिक्षा की व्यवस्था करेगा । इसी **प्रावधान के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया** गया, जिसे । **अप्रैल 2010 को लागू किया गया।**

व्यवहारिक रूप में 2010 से पहले इस मौलिक अधिकार की प्रकृति नीति निदेशक तत्वों के समान ही थी

अनु. 22 :- निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण :-

इसके तहत व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं -

(i) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा ।

(ii) गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को यह अधिकार हैं कि वह अपनी पसंद के वकील से परामर्श ले सकता हैं।

(iii) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायिक अधिकारी (मजिस्ट्रेट) के सामने प्रस्तुत करना होगा। इन 24 घंटो में यात्रा का समय शामिल नही होगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी निवारक निरोध के तहत की जाती हैं तो उपर्युक्त अधिकार प्राप्त नहीं हैं। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को तीन माह तक मजिस्ट्रेट सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं। इस अवधि को केवल तब ही बढ़ाया जा सकता हैं । जब उच्च न्यायालय के न्यायधीशों का बोर्ड यह प्रमाणित करे कि अवधि बढाई जाने की आवश्यकता हैं ।

(iv) **अनु.22 से सम्बंधित अधिकार किसी विदेशी को भी प्राप्त नही होते ।**

(3) मानव व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबन्ध (अनु. 23)

- मानव दुर्व्यव्यापार से आशय हैं कि महिला पुरुष बच्चो की वस्तुओं के समान खरीद अथवा बिक्री करना।
- इसमें देह व्यापार के लिए क्रय विक्रय अथवा शरीर के अंगो के क्रय विक्रय आदि को भी शामिल किया जाता हैं।
- इसी प्रकार किसी व्यक्ति से बलात श्रम नही करवाया जा सकता । बलात श्रम से आशय हैं, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य करवाना।
- लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं । लेकिन वह कार्य करने से इंकार करता हैं तो उससे कार्य करवाना बलात श्रम नही माना जायेगा ।
- इसी प्रकार किसी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी एवं बेगार नही करवाई जा सकती।

अध्याय – 3।

राष्ट्र का एकीकरण

- सन् 1947 में स्वतंत्र होने के बाद भारत स्वतंत्र रियासतों में बंटा हुआ था। 15 अगस्त 1947 की तारीख लार्ड लुई माउण्टबेटन ने जानबूझ कर तय की थी क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा समर्पण करने की दूसरी वर्षगांठ थी।
- 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तब माउण्टबेटन सेना के साथ बर्मा के जंगलों में थे।
- इसी वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए माउण्टबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के लिए तय किया था।
- किन्तु भोपाल के लोगों को भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए बाद में दो साल और इंतजार करना पड़ा था। तब **सरदार पटेल ने लगभग 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा और भारत को मौजूदा स्वरूप दिया। एक कुशल प्रशासक होने के कारण कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें 'लौह पुरुष' के रूप में भी याद करता है।**
- आजादी प्राप्ति के दौरान भारत में करीब 562 देशी रियासतें थीं। सरदार पटेल तब अंतरिम सरकार में उपप्रधानमंत्री के साथ देश के गृहमंत्री थे।
- जूनागढ, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर 562 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी।
- वास्तव में, माउण्टबैटन ने जो प्रस्ताव भारत की आजादी को लेकर जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था उसमें ये प्रावधान था कि भारत के 565 रजवाड़े भारत या पाकिस्तान में किसी एक में विलय को चुनेंगे और वे चाहें तो दोनों के साथ न जाकर अपने को स्वतंत्र भी रख सकेंगे।
- इन 565 रजवाड़ों जिनमें से अधिकांश प्रिंसली स्टेट (ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का हिस्सा) थे में से भारत के हिस्से में आए रजवाड़ों ने एक-एक करके विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, या यूँ कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा वीपी मेनन ने हस्ताक्षर करवा लिए।
- बचे रह गए थे- हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और भोपाल। इनमें से **भोपाल का विलय सबसे अंत में भारत में हुआ।**
- भारत संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासत भोपाल इसलिए थी क्योंकि पटेल और मेनन को पता था कि भोपाल को अंततः मिलना ही होगा।
- जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर चुका था तो कश्मीर स्वतंत्र बने रहने की।
- **जूनागढ़, कश्मीर तथा हैदराबाद तीनों राज्यों को सेना की मदद से विलय करवाया गया** किन्तु भोपाल में इसक आवश्यकता नहीं पड़ी।
- भोपाल जहां नवाब हमीदुल्लाह खान उस रियासत के नवाब थे जो भोपाल, सीहोर और रायसेन तक फैली हुई थी।
- इस रियासत की स्थापना 1723-24 में औरंगजेब की सेना के बहादुर अफगान योद्धा दोस्त मोहम्मद खान ने सीहोर, आष्टा, खिलचीपुर और गिन्नौर को जीत कर स्थापित की थी।
- 1728 में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद उसके बेटे यार मोहम्मद खान के रूप में भोपाल रियासत को अपना पहला नवाब मिला था।
- मार्च 1818 में जब नजर मोहम्मद खान नवाब थे तो एंग्लो भोपाल संधि के तहत भोपाल रियासत भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य की प्रिंसली स्टेट हो गई।
- **1926 में उसी रियासत के नवाब बने थे हमीदुल्लाह खान। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से शिक्षित नवाब हमीदुल्लाह दो बार 1931 और 1944 में चेम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर बने तथा भारत विभाजन के समय वे ही चांसलर थे।**
- आजादी का मसौदा घोषित होने के साथ ही उन्होंने 1947 में चांसलर पद से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि वे रजवाड़ों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे।
- नवाब हमीदुल्लाह 14 अगस्त 1947 तक सोच में थे कि वो क्या निर्णय लें। जिन्ना उन्हें पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल का पद देकर वहाँ आने की पेशकश दे चुके थे और इधर रियासत का मोह था।
- 13 अगस्त को उन्होंने अपनी बेटी आबिदा को भोपाल रियासत का शासक बन जाने को कहा ताकि वे पाकिस्तान जाकर सेक्रेटरी जनरल का पद सभाल सकें, किन्तु आबिदा ने इससे इनकार कर दिया।
- भोपाल का विलीनीकरण सबसे अंत में हुआ तो उसके पीछे एक कारण ये भी था कि नवाब हमीदुल्लाह जो चेम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे उनका देश की आंतरिक राजनीति में बहुत दखल था, वे नेहरू और जिन्ना दोनों के घनिष्ठ मित्र थे।
- मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल के स्वतंत्र रहने की घोषणा की।
- मई 1948 में नवाब ने भोपाल सरकार का एक मन्त्रिमण्डल घोषित कर दिया था जिसके प्रधानमंत्री चतुरनारायण मालवीय थे।
- इस समय तक आते-आते भोपाल रियासत में विलीनीकरण को लेकर विद्रोह पनपने लगा था। साथ ही विलीनीकरण की सूत्रधार पटेल-मेनन की जोड़ी भी दबाव बनाने लगी थी।
- एक और समस्या ये सामने आ गई थी कि चतुर नारायण मालवीय भी विलीनीकरण के पक्ष में हो चुके थे।

- प्रजामंडल विलीनीकरण आंदोलन का प्रमुख दल बन चुका था। अक्टूबर 1948 में नवाब हज पर चले गये और दिसम्बर 1948 में भोपाल के इतिहास का जबरदस्त प्रदर्शन विलीनीकरण को लेकर हुआ, कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए जिनमें भाई रतनकुमार, ठाकुर लाल सिंह, डॉ शंकर दयाल शर्मा, नाम भी शामिल थे।
- पूरा भोपाल बंद था, राज्य की पुलिस आंदोलनकारियों पर पानी फेंक कर उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी।
- 23 जनवरी 1949 को डॉ॰ शंकर दयाल शर्मा को आठ माह के लिए जेल भेज दिया गया। इन सबके बीच वीपी मेनन एक बार फिर से भोपाल आए मेनन ने नवाब को स्पष्ट शब्दों में कहा कि भोपाल स्वतंत्र नहीं रह सकता, भौगोलिक, नैतिक और सांस्कृतिक नजर से देखें तो भोपाल मालवा के ज्यादा करीब है
- इसलिए भोपाल को मध्यभारत का हिस्सा बनना ही होगा।
- आखिरकार 29 जनवरी 1949 को नवाब ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करते हुए सत्ता के सारे सूत्र एक बार फिर से अपने हाथ में ले लिए।
- पंडित चतुरनारायण मालवीय इक्कीस दिन के उपवास पर बैठ चुके थे।
- वीपी मेनन पूरे घटनाक्रम को भोपाल में ही रहकर देख रहे थे, वे लाल कोठी (वर्तमान राजभवन) में रुके हुए थे तथा लगतार दबाव बनाए हुए थे नवाब पर। और **अंततः 30 अप्रैल 1949 को नवाब ने विलीनीकरण के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए।**
- सरदार पटेल ने नवाब को लिखे पत्र में कहा -मेरे लिए ये एक बड़ी निराशाजनक और दुःख की बात थी कि आपके अविवादित हुनर तथा क्षमताओं को आपने देश के उपयोग में उस समय नहीं आने दिया जब देश को उसकी जरूरत थी।
- अंततः **1 जून 1949 को भोपाल रियासत, भारत का हिस्सा बन गई, केंद्र द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर श्री एनबी बैनर्जी ने कार्यभार संभाल लिया और नवाब को मिला 11 लाख सालाना का प्रिवीपर्स।**
- भोपाल का विलीनीकरण हो चुका था। लगभग 225 साल पुराने (1724 से 1949) नवाबी शासन का प्रतीक रहा तिरंगा (काला, सफेद, हरा) लाल कोठी से उतारा जा रहा था और भारत संघ का तिरंगा (केसरिया, सफेद, हरा) चढ़ाया जा रहा था।
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम:1947 ने रियासतों को यह विकल्प दिया कि वे भारत या पाकिस्तान अधिराज्य (डामिनियम) में शामिल हो सकती हैं या एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में स्वंय को स्थापित कर सकती हैं।
- तत्कालीन समय में लगभग 500 से ज़्यादा रियासतें लगभग 48% भारतीय क्षेत्र एवं 28% जनसंख्या को कवर करती थीं। ये रियासते वैधानिक रूप से ब्रिटिश भारत का भाग नहीं थीं, लेकिन ये ब्रिटिश क्राउन के पूर्णतः अधीनस्थ थीं।
- ये रियासतें, राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों एवं अन्य उपनिवेशी शक्तियों के उदय को नियंत्रित करने में, ब्रिटिश सरकार के लिये एक सहायक के रूप में थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल (भारत के पहले उपप्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री) को VP मेनन की सहायता से रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया।
- राजाओं के बीच राष्ट्रवाद का आह्वान शामिल न होने पर अराजकता की आशंका जताते हुए, पटेल ने राजाओं को भारत में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया।
- उन्होंने 'प्रिवी पर्स' (एक भुगतान, जो शाही परिवारों को भारत के साथ विलय पर पर हस्ताक्षर करने पर दिया जाना था) की अवधारणा को भी पुनर्स्थापित किया।
- कुछ रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय किया, तो कुछ ने स्वतंत्र रहने का, वहीं कुछ रियासतें पाकिस्तान का भाग बनना चाहती थीं।

त्रावनकोर

- दक्षिण तटीय राज्य, त्रावनकोर, उन प्रथम रियायतों में से एक था जिसने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया था एवं कॉन्ग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्त्व पर प्रश्नचिह्न लगाया था।
- ऐसा कहा जाता है कि सर सीपी। अबयर (त्रावनकोर के दीवान) ने U.K सरकार के साथ गुप्त संधि भी कर ली थी।
- U.K की सरकार स्वतंत्र त्रावनकोर के पक्ष में थी क्योंकि यह क्षेत्र मोनोज़ाइट नामक खनिज से समृद्ध था, जो ब्रिटेन को नाभकीय हथियारों की दौड़ में बढ़त दिला सकता था।
- लेकिन केरल समाजवादी पार्टी के एक सदस्य द्वारा उनकी हत्या के असफल प्रयास के बाद, सीपी। अय्यर ने भारत से जुड़ने का फैसला किया और 30 जुलाई, 1947 को त्रावनकोर भारत में शामिल हो गया।

जोधपुर

- एक राजपूत रियासत, जहाँ का राजा हिंदू था और अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी, असाधारण रूप से पाकिस्तान की ओर झुकाव रखता था।
- युवा एवं अनुभवहीन राजा हनवंत सिंह ने यह अनुमान लगाया कि पाकिस्तान के साथ उसकी रियासत की सीमा लगने के कारण वह पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे तरीके से सौदेबाज़ी कर सकता है।
- जिन्ना ने महाराज को अपनी सभी मांगों को सूचीबद्ध करने के लिये एक हस्ताक्षरित खाली पेपर दे दिया था।
- इन्होंने सैन्य एवं कृषकों की सहायता से हथियारों के निर्माण और आयात के लिये कराची बंदरगाह तक मुफ्त पहुँच का प्रस्ताव भी रखा।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें - ⬇ (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - https://shorturl.at/qBJ18 (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 - https://shorturl.at/tGHRT (96 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6URO

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKj14nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये
RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 मेंसे)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)

whatsapp - https://wa.link/wdvcfu 1 web.- https://bit.ly/40yVhHP

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्टूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

Our Selected Students

Approx. 137+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	114195120370022	PratapNagar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
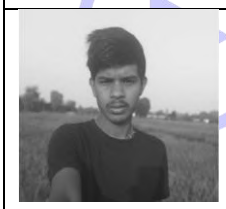	**Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati**	SSC CHSL tier-1	2006018079	Teh.-Biramganj, Dis.-Raisen, MP
N.A.	**Mahender Singh**	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumangarh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumangarh
N.A.	**Mangilal Siyag**	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	MONU S/O KAMTA PRASAD	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
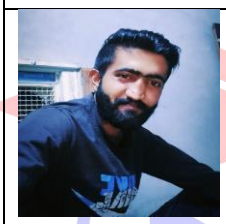	**Govinda Jangir**	RAS	1231450	Hanumangarh
N.A.	**Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma**	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawala
N.A.	**LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL**	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A.	**Ramchandra Pediwal**	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village-gudaram singh, teshil-sojat
N.A.	**OM PARKSH**	RAS	N.A.	Teshil-mundwa Dis- Nagaur
N.A.	**Sikha Yadav**	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
	Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel	Rac batalian	729141135	Dis.- Bhilwara
N.A.	**mukesh kumar bairwa s/o ram avtar**	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUNU
N.A.	**Rinku**	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	**Rupnarayan Gurjar**	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Jagdish Jogi	EO/RO (84 Marks)	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota

And many others.....

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp करें – https://wa.link/wdvcfu

Online order करें – https://bit.ly/40yVhHP

Call करें – 9887809083

FREE SAMPLE